रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1610] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 28, 2007/पौष 7, 1929
No. 1610] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 28, 2007/PAUSA 7, 1929

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2007

का.आ. 2219(अ).—केन्द्रीय सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 25 की उप-धारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना सं. का.आ. 1578 तारीख 1 जुलाई, 1961 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

1. उक्त अधिसूचना की सारणी के स्तंभ 1 में "धारा 303(2)" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों तथा स्तंभ (2) में, "समस्त" शब्द का लोप किया जाएगा ।

2. (1) पैरा (1) में किसी बात के होते हुए भी, इस आदेश के प्रवृत्त होने की तारीख को विद्यमान प्रत्येक कंपनी अपने निदेशकों, प्रबंध निदेशक, प्रबंधक या सचिव में किसी परिवर्तन के संबंध में जो इन आदेशों के प्रवृत होने तक कंपनी (निदेशक पहचान संख्या) नियम, 2006 के नियम 6 के अधीन प्ररूप डीआईएन 3 के फाइल किए जाने की तारीख से हुए हैं, कंपनी (केन्द्रीय सरकार) साधारण नियम और प्ररूप 1956 का प्ररूप 32 फाइल करेगी ।

(2) यदि उप-पैरा (1) में यथा निर्दिष्ट विशिष्टियां इस आदेश के प्रारंभ की तारीख से साठ दिन के भीतर फाइल की जाती है, तो ऐसी कंपनी को उसके लिए विहित फीस के संदाय से छूट दी जाएगी :

परन्तु यह कि यदि कोई कंपनी ऐसी विशिष्टियां ऐसी उक्त साठ दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् फाइल करती है तो ऐसी कंपनी उक्त अधिनियम की धारा 611 के अधीन उपबंधित फीस और अतिरिक्त फीस का संदाय करेगी ।

3. यह आदेश 31 दिसम्बर, 2007 से प्रवृत्त होगा ।

[फा. सं. 03/02/2007-सीएल-V]

जितेश खोसला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 28th December, 2007

S.O. 2219(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (6) of Section 25 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendment to the notification number S.O. 1578, dated the 1st July, 1961, namely :—

1. In the said notification, in the Table, the word, figures and brackets, "Section 303(2)" in column (1) and the words "The whole" in column (2) shall be omitted.

2. (1) Notwithstanding anything contained in paragraph 1, every company existing on the date of coming into force of this order shall file Form 32 of the Companies (Central Government's) General Rules and Forms, 1956 in respect of any change among its directors, managing director, manager or secretary that has occurred after the date of filing of Form DIN-3 under rule 6 of the Companies (Director Identification Number) Rules, 2006, till the date of coming into force of these orders.

(2) If the particulars as referred to in sub-paragraph (1) is filed within sixty days from the date of commencement of this order, such company shall be exempted from payment of the fee prescribed therefore :

Provided that if any company files such particulars after the expiry of the said period of sixty days such company shall pay the fee and the additional fees provided under Section 611 of the said Act.

3. This order shall come into force with effect from the 31st of December, 2007.

[F. No. 03/02/2007-CL-V]

JITESH KHOSLA, Jt. Secy.

5114 GI/2007

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.